मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 23, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 157 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड के केन्द्रीय भण्डार गृह की सामग्री बाजार में बेचे जाने,

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना की ग्राम पंचायत गणेशपुरा के किसानों को भूमि का सर्वे नम्बर न दिये जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम मांगरोल में श्मशान भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता रोके जाने,

(4) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी नगर में बनाई जा रही माडल सड़कें घटिया स्तर की होने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों का नियमानुसार मुआवजा दिये जाने,

(6) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की क्षेत्रों के विकास की राशि बड़वाह में समय पर न पहुंचने तथा

(7) श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर, सदस्य की पंधाना के ग्राम धावड़देव स्थित ग्राम खिड़गांव तक की सड़क जर्जर होने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि पेटलावद में लगभग सौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है. इसमें जांच प्रतिवेदन आ गया है. जांच आयोग ने मुख्य सचिव महोदय को रिपोर्ट भी दी है और उनके प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने भ्रामक स्थिति पैदा की है कि राजेन्द्र कांसवा फरार है, 5 लाख की इनामी राशि घोषित है. इस विषय पर दिये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जावे. श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने भी इसी सूचना को ध्यानाकर्षण में परिवर्तित करने का अनुरोध किया ".

श्री तरूण भनोत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रदेश में न्यायिक आपातकाल की स्थिति बन गयी है. पिछले पांच दिनों से मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता एवं कोई भी सरकारी वकील हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इससे लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है".

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का अंकेक्षित वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें, जिसे सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को स्वीकार किया गया है, के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक,2015 (कमांक 19 सन् 2015)	30 मि.
2.	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2015 (कमांक 20 सन् 2015	1 घन्टा
3.	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (कमांक 21सन् 2015)	30 मि.
4	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (कमांक 22 सन् 2015)	30 मि.
5.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (कमांक 23 सन् 2015)	30 मि.
6.	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015).	30 मि.
7.	प्रदेश में अल्प वर्षा, सूखे एवं ओला-वृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास रावत, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	1 घन्टा 30 मि.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने बड़वाह के पास खलघाट पर सुरक्षा प्रबंध न होने से दुर्घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल स्थित कम्प्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा छात्रों को ठगे जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री दीपक जोशी, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) सर्वश्री चेतन्य कुमार काश्यप, रामपाल सिंह एवं ओमप्रकाश सखलेचा सदस्यगण ने प्रदेश में ई-पंजीयन एवं ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले में एस.जी.आर.वाई. योजना अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री संजय पाठक (जिला-कटनी)
(2) श्री के. के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(3) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)

(5) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(6) श्री नारायण सिंह पँवार (जिला-राजगढ़)
(7) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगौन)
(8) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (जिला-गुना)
(9) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(10) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(11) श्री घनश्याम पिरोनियॉं(जिला-दतिया)
(12) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(14) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (जिला- छतरपुर)
(15) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(16) श्रीमती रंजना बघेल (जिला-धार)
(17) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(18) कुँवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(19) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगौन)
(20) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(21) श्री वीर सिंह पँवार (जिला-विदिशा)
(22) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(23) श्री रामलल्लू वेश्य (जिला-भोपाल)
(24) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(25) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(26) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(27) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(28) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(29) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(30) श्री भारत सिंह कुशवाह (जिला-ग्वालियर)
(31) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(32) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(33) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)

(श्री सुन्दरलाल तिवारी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य अपने ध्यानाकर्षण पर बात कहते हुए गर्भगृह में आये और आसंदी के निर्देश पर वापस अपने स्थान पर गये.)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(6) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(मध्याह्न 12.25 से अपराह्न 2.36 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री शैलेन्द्र जैन
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष
(5) श्री मुकेश नायक
(6) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(7) श्री रजनीश हरवंश सिंह

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

10. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2013-14)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाखनसिंह यादव
(3) श्री शंकरलाल तिवारी
(4) श्री कमलेश्वर पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(5) डॉ. मोहन यादव
(6) श्री सचिन यादव
(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(चर्चा जारी)

सांय 05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 (24 अग्रहायण, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 14 दिसम्बर, 2015